बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। अधिसूचना ।।

संoसंo—16/आरोप—01—10/2026 1742 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना दिनांक-21.05.26

पुलिस उप—महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक—1103 दिनांक—18.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री राजेश कुमार मिश्रा, पिता—स्व0 बच्चू मिश्रा, ग्राम—नगर पंचायत, सिकंदरा, टोला—लहिला, पो0+थाना—सिकंदरा, जिला—जमुई के आवेदन के आलोक में विशेष निगरानी इकाई द्वारा शिकायत का सत्यापन करने तथा संज्ञेय अपराध घटित होने के बाद अभियुक्त श्री संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिकंदरा एवं अभियुक्त श्री सोनू कुमार, स्वच्छतासाथी (मानदेय पर), नगर पंचायत, सिकंदरा के विरूद्ध दिनांक—28.04.2026 को धारा—7 P.C. Act, 1988 (As amended 2018) and 61(2)(a) BNS 2023 के तहत थाना कांड सं0—16/2026 दर्ज किया गया।

2. विशेष निगरानी इकाई, थाना कांड सं0—16/2026 के अनुपालन में गठित टीम द्वारा श्री सोनू कुमार, स्वच्छतासाथी (मानदेय पर), नगर पंचायत, सिकंदरा को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति को लेकर मांग किये जाने पर कुल 50,000/—रूपया रिश्वत लेते हुए दिनांक—28.04.2026 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त श्री संतोष कुमार के कहने पर श्री सोनू कुमार द्वारा रिश्वत की राशि की मांग करने की बात स्वीकार की गयी थी। उक्त दोनों अभियुक्त श्री संतोष कुमार एवं श्री सोनू कुमार को दिनांक—28.04.2026 को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

3. श्री संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा, जमुई को उक्त कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) (क) के तहत कारा निरूद्ध की तिथि—28.04.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री संतोष कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) व (3) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(राजीव रंजन तिवारी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–16/आरोप–01–10/2026 1742 पटना, दिनांक–22.5.26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार (जमुई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा/श्री संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा सम्प्रति कारानिरूद्ध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी/उप सचिव (स्थापना) एवं आई०टी०, प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–पुलिस उप–महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि श्री संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा, जमुई सम्प्रति कारानिरूद्ध को तामिला कराने की कृपा की जाय।

ह०/- 22.5.2026

सरकार के उप सचिव।